उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–30–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–19–प्र0सु0/2004 दिनाँक : 23.01.2024

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन कर्ता को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना न देने या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार करने या जान बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देने के लिए कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की प्रत्यापित सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–177–प्र0सु0–01/पाकालि/2007–19–प्र0सु0/2004 दिनांक 02.08.2007 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

2. उक्त आदेश के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–233–प्र0सु0–01/पाकालि/2007–19–प्र0सु0/2004 दिनांक 12 सितम्बर, 2007 को **अवक्रमित कर** राज्य सूचना आयोग द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की गयी शास्ति की प्रत्यापित हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित किये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया जाता है:–

1–	अपर सचिव–प्रथम	–	अध्यक्ष
2–	संयुक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन)	–	सदस्य एवं संयोजक
3–	सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम/सम्बन्धित कारपोरेशन की इकाई, जहाँ से सूचना उपलब्ध करायी गयी है या सूचना उपलब्ध करायी जानी है, के अपीलीय अधिकारी। (कारपोरेशन मुख्यालय को छोड़कर)	–	सदस्य

कारपोरेशन मुख्यालय से सम्बन्धित प्रकरणों में उपर्युक्त समिति में तीसरे सदस्य के रूप में अपर सचिव–तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 नामित होंगे।

उक्त समिति सन्दर्भित प्रकरणों में अपनी अनुशंसायें यथाशीघ्र निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि को प्रस्तुत करेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–30–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणाँचल/पश्चिमाँचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण/वित्त/वाणिज्य/सी0पी0/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणाँचल/पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को कानपुर।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय–व्ययक)/(निधि–प्रशा0 एवं संप्रे0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी/शिविर/प्रकोष्ठ, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

संयुक्त सचिव (ज0श0 प्रशि0 एंव कार्य)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 177–प्र0सु0–01/पा.का.लि/07–19–प्र0सु0/2004 दिनांक : 2 अगस्त, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–7 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग से वांछित सूचना प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता को जनसूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना 30 दिवसों के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा–6 (3) के अंतर्गत यह भी प्राविधानित है कि आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना चाहे किसी दूसरे लोक प्राधिकारी से संबंधित हो अथवा मांगी गयी सूचना की विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हो वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के संबंध में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा। परन्तु किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जायेगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

प्रश्नगत अधिनियम की धारा–20 (1) में यह प्राविधानित है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई आवेदन लिये जाने से इंकार किये जाने पर अथवा अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना न देने या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार करने या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देने के लिए वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या ऐसी सूचना नष्ट कर दी है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है, सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

कारपोरेशन, मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें प्रदेश की समस्त विभागीय इकाईयों से संबंधित सूचना मांगी जाती है। ऐसी अवस्था में कारपोरेशन के जन सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के लोक प्राधिकारी को वांछित सूचना विनिर्दिष्ट अवधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र का अंतरण कर दिया जाता है। परन्तु यह देखा गया है कि संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में त्वरित गति से कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि किन्हीं प्रकरणों में वांछित सूचना उपलब्ध करायी भी जाती है तो वह अपूर्ण, गलत अथवा भ्रामक होती है तथा अत्यधिक विलम्ब से उपलब्ध करायी जाती है। जिससे न केवल राज्य सूचना आयोग में कारपोरेशन को अत्यन्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है बल्कि आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की भी कार्यवाही की जाती है।

AR-01/Bhanu/p.su.

उपर्युक्त स्थिति के निवारणार्थ यह निर्णय लिया गया है कि जिस भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपूर्ण, गलत अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी जाती है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के उपरान्त सूचना उपलब्ध करायी जाती है, ऐसे प्रकरणों में राज्य सूचना आयोग द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति की प्रत्यापित (Recovery) उस संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायगी, जिसने सूचना न उपलब्ध कराई हो अथवा जानबूझकर अपूर्ण, गलत अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् सूचना विलम्ब से उपलब्ध करायी हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 177 (1)–प्र0सु0–01/पाकालि0/2007 तद्दिनांक

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. विधि अधिकारी उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मु0 महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (का0प्र0–III/औ0सं0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उ0प्र0पा0का0लि0।
11. मु0 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0।
12. महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त प्रबन्ध), उ0प्र0पा0का0लि0।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
14. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0।
15. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0।
16. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ई0), महालेखाकार (आडिट) द्वितीय, कार्यालय, उ0प्र0पा0का0लि0।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
18. समस्त उपसचिव/अनुसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. समस्त अनुभाग/कोष्ठक/शिविर, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0के0 भट्ट)

मु0अ0 एवं मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)

AR-01/Bhanu/p.su.